एमओपीआर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पंचायती राज मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली का
नागरिक/ग्राहक चार्टर

http://panchayat.gov.in

मार्च, 2019

नागरिक / ग्राहक चार्टर

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	3-5
2.	विज़न	6
3.	मिशन	6
4.	सेवाओं की सूची	7-12
5.	लोक शिकायत निवारण प्रणाली	13
6.	हितधारकों की सूची	14
7.	सेवा प्रप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएं	15
8.	निष्कर्ष	16
9.	संक्षेपाक्षरों की सूची	17

एमओपीआर

नागरिक / ग्राहक चार्टर

प्रस्तावना

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को 27 मई, 2004 को एक अलग मंत्रालय के रुप में स्थापित गया था। मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य संविधान के भाग IX के कार्यान्वयन की देखरेख करना, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों और पेसा अधिनियम के प्रावधानों और जिला योजना समिति को लागू करना है। भारत के संविधान के भाग IX में अधिदेशित पंचायतों को स्थानीय स्व-सरकारों और अधिशासन में लोगों की भागीदारी को आधारशिला बनाया गया है। पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के माध्यम से प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है। मंत्रालय मुख्य रूप से नीतिगत हस्तक्षेप, पक्ष समर्थन, क्षमता निर्माण, योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से अनुनय/आग्रह, केंद्रीय वित्त अनुदान के तहत वित्तीय सहायता आदि के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में सुधार के संबंध में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है।

2. 'पंचायत' एक राज्य विषय है, पंचायतों को शक्तियों और प्राधिकारों के अंतरण को राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 छ के संदर्भ में, राज्य विधानसभाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में निर्धारित 29 मामलों को पंचायतों को अंतरण पर विचार करना है। मंत्रालय राज्यों को पीआरआई को शक्तियों, कार्यों और कर्मियों (3एफ) को अंतरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एमओपीआर शक्तियों के अंतरण हेतु भी राज्यों का प्रोत्साहित करता है।

3. केंद्रीय वित्त आयोगों को राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की संपूर्ति करने के लिए राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के लिए सिफारिश करना आवश्यक है। चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अवार्ड के तहत, 26 राज्यों की संविधान के भाग IX के तहत स्थापित ग्राम पंचायतों को 200,292.20 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है, जो प्रति व्यक्ति 488 रुपए प्रति वर्ष की सहायता के लिए है। इसमें से 26 राज्यों के लिए 1,80,262.98 करोड़ रुपए (90%) मूल अनुदान है और 20,029.22 करोड़ रुपए (10%) निष्पादन अनुदान है। अनुदान का उपयोग पानी की आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, सेप्टिक प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान जल की निकासी, सामुदायिक संपत्ति, सड़कों, फुटपाथों और सड़क प्रकाश व्यवस्था के रखरखाव और कब्रिस्तानों और अंत्येष्टि स्थलों के रखरखाव सहित बुनियादी सेवाओं आदि में सुधार करने और प्रासंगिक कानूनों के तहत उन्हें सौंपे गए अन्य कार्यों के लिए है।

4. एफएफसी अवार्ड ने लोगों को बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर और नेतृत्व को योजनाओं के अभिसरण के लिए एक अवसर प्रदान किया है। एमओपीआर ने राज्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए राज्य विशिष्ट .....

दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए समर्थन दिया है, जो एफएफसी निधि, एमजीएनआरईजीएस निधि, स्वच्छ भारत निधि आदि सहित उन सभी संसाधनों को अभिसारित करते हैं, जिन पर पंचायतों का अधिकार है। ग्राम पंचायत विकास योजना समुदाय को स्थानीय विकास के एजेंडे को स्थापित करने और विकास के मुद्दों के स्थानीय समाधान खोजने में शामिल करने का भी अवसर देती है।

5. पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और उनके कर्मियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से मजबूत करने के लक्ष्य से केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की नई योजना शुरू की गई है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण पर मुख्य रूप से बल देते हुए पीआरआई और 117 आकांक्षी जिलों में पीआरआई को मजबूत करने पर जोर देना है। यह योजना विभिन्न गतिविधियों के लिए पंचायतों को मजबूत बनाने की दिशा में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इनमें उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना(एएपी) में शामिल क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण के लिए मानव संसाधन, ग्राम पंचायत को तकनीकी सहायता, पंचायत बुनियादी ढांचा, ई-सक्षमता, सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) आदि शामिल हैं।

6. इस मंत्रालय ने पंचायती राज प्रणाली के सुदृढ़ और जीवंत कामकाज के लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। मंत्रालय ने समय-समय पर ग्राम सभा के प्रभावी कामकाज के लिए व्यापक दिशा-निर्देश, परामर्शिका , निर्देश आदि जारी किए हैं और ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें की है। अनुच्छेद 243 क में यह प्रावधान है कि ग्रामीण स्तर पर एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों को कर सकती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा, कानून के जरिये उसे, प्रदान की गई हो। ग्राम सभा प्रत्यक्ष और सहभागी लोकतंत्र सुनिश्चित करेन का मंच प्रदान करती है। यह गरीबों, महिलाओं और हाशिए पर के लोगों सहित सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है और ग्राम पंचायत (कार्यकारी) के प्रस्तावों पर चर्चा, निर्णय, अनुमोदन या अस्वीकार करने और इसके प्रदर्शन का आकलन भी करती है।

7. पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज में व्यापक सुधार के लिए प्रयासरत है। मंत्रालय पीआरआई को मजबूत करने, अंतर-मंत्रालयी और बहु-क्षेत्रीय समन्वय का पक्ष समर्थन, पीआरआई के लिए अंतरण को बढ़ाने और स्थानीय शासन के लिए वित्तपोषण और आउटरीच के लिए समाधान खोजने के लिए क्षमता हेतु समर्थन प्रदान करता है।

8. मंत्रालय विभिन्न तरीकों से अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए काम करता है। यह एक मजबूत पक्ष समर्थक की भूमिका निभाता है। एमओपीआर ज्ञान सृजन और इसके साझाकरण को बढ़ावा देता है ताकि मुद्दों को हल करने के लिए स्पष्ट रूप से सार्थक रणनीति तैयार की जाए और सरकार के साथ-साथ गैर-सरकारी एजेंसियों और विशेषज्ञों के साथ भी साझा किया जाए। यह राज्यों को तकनीकी सहायता और सुविधाएं भी प्रदान करता है। नीति में हाल के बदलावों और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए, मंत्रालय ने अपने अधिदेश में बुनियादी बदलावों के साथ खुद को फिर से तैयार किया है।

एमओपीआर

नागरिक / ग्राहक चार्टर

विज़न

- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और सहभागितापूर्ण स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना

मिशन

- सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास और सेवाओं के दक्षतापूर्वक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण, सक्षमता और जवाब देही
- निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, ई-गवर्नेंस, जीपीडीपी के कार्यान्वयन और पंचायती राज संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से क्षमता विकास

एमओपीआर

नागरिक / ग्राहक चार्टर

सेवाओं की सूची

सेवाएं / लेन देन / मानक						
क्र . .सं	**सेवाएं**	**उत्तरदायी अधिकारी का संपर्क विवरण**	**सेवा/कार्य निष्पादन मानक**	**प्रक्रिया**	**अपेक्षित दस्तावेज**	**फीस**
क.	**क्षमता निर्माण-पंचायत सशक्तिकरण अभियान/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)**					
1.	पीआरआई के सशक्तिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नामित एजेंसियों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना	श्री के.एस. सेठी (संयुक्त सचिव) ई-मेल: jscb-mopr@gov.in मो.सं 9818570788	20 दिन	❖ राज्य अपने प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को भेजते हैं ❖ मंत्रालय द्वारा इनका आकलन किया जाता है और इन्हें सीईसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है	सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव जैसे: ❖ पिछले अनुदानों का उपयोग प्रमाण पत्र, ❖ वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां, आदि।.	शून्य
2.	निम्न के द्वारा क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/नामित प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता देना (i) अतिथि संकाय गेस्ट फैकल्टी के रूप में पंचायत के विभिन्न	श्री के एस सेठी (संयुक्त सचिव) ई-मेल: jscb-mopr@gov.in मो: 9818570788	10 दिन जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों	❖ राज्य/नामित प्रशिक्षण संस्थान किसी विशेषज्ञ के नामांकन के लिए पंचायती राज मंत्रालय को औपचारिक अनुरोध भेजते हैं ❖	राज्य सरकारों से लिखित अनुरोध। ❖ बजटीय आवश्यकताओं, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था से संबंधित समन्वय एजेंसियों के बारे में	शून्य

	क्षेत्रों के विशेषज्ञ/राष्ट्रीय संसाधन उपलब्ध करवाकर; तथा (ii) अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए रणनीतिक कार्यशालाओं का आयोजन करके।		द्वारा तय किया गया है	कार्यशाला/गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में आयोजित करने के लिए कार्रवाई की जाती है।	विवरण और हितधारकों आदि से नामांकन।	
ख.	**पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण**					
3.	राज्यों/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) या इसी तरह के ऐसे स्थानीय निकायों को जिन्होंने सेवाओं के वितरण और जनता की भलाई में सुधार लाने में अच्छा काम किया है को प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हुए ई पंचायत पुरस्कार , दीनदयाल उपध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है।	श्री ए पी नागर, संयुक्त सचिव (गवर्नेंस प्रभाग) ई-मेल: ap.nagar@gov.in दूरभाषः 011-23356556 मो: 9418007426	वार्षिक	❖ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। ❖ विभिन्न नामांकित व्यक्तियों का मूल्यांकन एक प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है। ❖ दी गई जानकारी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित की जाती है। ❖ पंचायत पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा अंतिम पुरस्कार विजेताओं का चयन किया जाता है।	❖ प्रश्नावली के लिए ऑनलाइन नामांकन और प्रतिक्रिया। ❖ राज्य/राष्ट्रीय स्तर की सत्यापन रिपोर्ट	शून्य

ग.	**ई-पंचायत**					
4.	पंचायतों के आंतरिक स्वचालन को बढ़ावा देने और पंचायतों के माध्यम से सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को बढ़ावा देने के लिए ई-पंचायत के तहत सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का अनुकूलन	श्री ए पी नागर, संयुक्त सचिव (गवर्नेंस प्रभाग) ई-मेल: ap.nagar@gov.in दूरभाषः 011-23356556 मोबाइल सं. 9418007426	संबंधित राज्यों के साथ समयावधि पर बनी सहमति के अनुसार	❖ एनआईसीएसआई/एनआईसी वार्षिक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ❖ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा मेल या पत्र द्वारा पंचायती राज मंत्रालय/ एनआईसी के साथ विशिष्ट अनुकूलन/ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को साझा करना।	❖ पिछले अनुदानों का उपयोग प्रमाण पत्र ❖ हालाँकि, राज्यों द्वारा आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए	शून्य
घ.	**चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की राशि**					
5.	14 वें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान दो किश्तों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जून और अक्टूबर में जारी किया जाता है।जबकि वर्ष के लिए मूल अनुदान का 50 प्रतिशत वर्ष की पहली किस्त के रूप में राज्य को जारी किया जाएगा, वर्ष के लिए शेष मूल अनुदान और पूर्ण निष्पादन अनुदान (वित्त वर्ष 2016-17 से लागू) को वर्ष की दूसरी किस्त के रूप में जारी किया जाएगा।	डॉ संजीब कुमार पटजोशी (संयुक्त सचिव) ई-मेल: js1-mopr@nic.in दूरभाष 011-23753819	राज्य सरकार के अनुरोध के आधार पर	मूल अनुदान जारी करने के लिए : वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदान की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को 15 दिनों के भीतर अनुदानों के हस्तांतरण किए जाने को प्रमाणित करता हुआ उपयोग प्रमाण पत्र।	राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी)।	शून्य

	अनुदान का उद्देश्य जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, सेप्टिक प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों, सड़क प्रकाश व्यवस्था, कब्रिस्तान और श्मशान घाट और उन्हें सौंपे गए कार्यों के भीतर कोई अन्य बुनियादी सेवाओं सहित बुनियादी नागरिक सेवाओं के वितरण के लिए ग्राम पंचायतों को सहायता देना और इन्हें मजबूत करना है।					
6.	वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया, जो एफएफसी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और स्थानीय निकायों को सहायता देने के साथ साथ मार्गदर्शन करने और स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान के	डॉ संजीब कुमार पटजोशी (संयुक्त सचिव) ई-मेल: js1-mopr@nic.in दूरभाष 011-23753819	---	❖ पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत वार सूचनाएं दर्ज करने और नजर रखने के लिए ऑनलाइन प्रणाली (एमआईएस) एप्लिकेशन www.ffconline.gov.in विकसित की है ❖ एफएफसी अनुदानों का उपयोग। ❖ डाटा एंट्री राज्यों/ ग्राम	राज्य सरकार द्वारा डाटा प्रविष्ट की जानी है।	शून्य

	व्यय की प्रगति पर निगरानी रखने और उपचारात्मक उपायों के सुझाव के लिए गठित की गई है।			पंचायतों द्वारा की जानी है ❖ एफएफसी अनुदानों से ग्राम पंचायतों के खर्च की निगरानी पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी। ❖ एफएफसी अनुदानों से बनाई गई संपत्तियों की जियो-फोटो टैगिंग पर एक्शन सॉफ्ट पोर्टल के द्वारा नजर रखी जाएगी।		
7.	निष्पादन अनुदान विश्वसनीय लेखा परीक्षित खातों और प्राप्ति और व्यय के आंकड़ों और राजस्व के अपने स्रोत में सुधार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं और ये ग्राम पंचायतों द्वारा लेखा परीक्षित वार्षिक खातों को प्रस्तुत करने और अपने राजस्व में वृद्धि करने पर आधारित हैं।	डॉ संजीब कुमार पटजोशी (संयुक्त सचिव) ई-मेल: js1-mopr@nic.in दूरभाष 011-23753819	राज्य सरकार के अनुरोध के आधार पर	निष्पादन अनुदान विश्वसनीय लेखा परीक्षित खातों और प्राप्ति और व्यय के आंकड़ों और राजस्व के अपने स्रोत में सुधार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं और ये ग्राम पंचायतों द्वारा लेखा परीक्षित वार्षिक खातों को प्रस्तुत करने और अपने राजस्व में वृद्धि करने पर आधारित हैं।	ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए योजना के साथ साथ राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी)	शून्य
ङ	**कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन**					
8.	कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन का संचालन करना	श्री ए पी नागर, संयुक्त सचिव (गवर्नेंस प्रभाग)	मंत्रालय और राज्य सरकारों की	❖ विशिष्ट विषयों की पहचान की जाती है। ❖ निविदाओं के माध्यम से	तकनीकी और वित्तीय बोली के रूप में उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना	शून्य

		ई-मेल: ap.nagar@gov.in दूरभाषः 011-23356556 मोबाइल सं. 9418007426	जरूरतों के आधार पर	प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। ❖ अध्ययन स्वीकृत किए जाते हैं और सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार एजेंसी का चयन किया जाता है। ❖ अनुसंधान की प्रगति की निगरानी की जाती है।		
9	रिपोर्ट प्रसारित करना	श्री ए पी नागर, संयुक्त सचिव (गवर्नेंस प्रभाग) ई-मेल: ap.nagar@gov.in दूरभाषः 011-23356556 मोबाइल सं. 9418007426	मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया	❖ रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं और सभी के लिए उपलब्ध हैं।.	कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययनों से तैयार हुई अंतिम रूप से अनुमोदित रिपोर्ट	शून्य

नागरिक / ग्राहक चार्टर

शिकायत निवारण प्रणाली

लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर	ई- मेल	मोबाइल नंबर
श्रीमती सुजाता शर्मा, आर्थिक सलाहकार	23746560	sujatas@nic.in	9650934304

सेवा मानकों का पालन न करने की स्थिति में, सेवा प्राप्तकर्ता/हितधारक अपनी शिकायत के निवारण के लिए निम्नलिखित लोक शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:

श्रीमती सुजाता शर्मा, आर्थिक सलाहकार
कमरा संख्या.127, पहली मंजिल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली.
टेलीफोन नंबर: 011-237456560
ई- मेल sujatas@nic.in

निम्नलिखित लिंक पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है:

https://pgportal.gov.in

शिकायत गंभीर होने पर

यदि शिकायत का अंतिम रूप से निवारण नहीं किया जाता है, तो उसे उच्च स्तर पर निम्न नोडल प्राधिकरण द्वारा उठाया जा सकता है:

अपर सचिव,
कमरा संख्या 214, दूसरी मंजिल, सरदार पटेल भवन,नई दिल्ली.
टेलीफोन नंबर: 011-23747910

नागरिक / ग्राहक चार्टर

हितधारक/ ग्राहक

1. केन्द्र सरकार के मंत्रालय
2. राज्य सरकारें
3. ग्राम, मध्यवर्ती(ब्लॉक) और जिला पंचायत
4. राष्ट्रीय स्तर की सत्यापन एजेंसी
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई)
7. नागरिक

नागरिक / ग्राहक चार्टर

सेवा प्राप्तकर्ता से सांकेतिक अपेक्षाएं

1. सहायक दस्तावेजों जैसे कि उपयोग प्रमाण पत्र, वित्तीय सहायता एवं वास्तविक उपलब्धि आदि के साथ पूर्ण प्रस्ताव और राज्य शेयर का प्रतिबद्धता के साथ मिलान।
2. क्षमता निर्माण में नामित प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राज्य सरकारों से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, समन्वय एजेंसियों से बजटीय विवरण, रसद व्यवस्था और हितधारकों से नामांकन आदि।
3. पंचायत पुरस्कार के लिए राज्य सरकारें/पीआरआई या इसी तरह के स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन नामांकन प्रस्तुत करना ।
4. राष्ट्रीय स्तर के फील्ड सत्यापन एजेंसियों को पंचायत पुरस्कारों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
5. राज्य सरकारों द्वारा पंचायत स्तर पर शासन को सक्षम करने के लिए नियमों, दिशानिर्देशों आदि को संशोधित/अधिसूचित करना।
6. एनआईसीएसआई द्वारा पिछले वर्ष के वार्षिक प्रस्ताव और उपयोगिता प्रमाण पत्र को मंत्रालय में समय पर प्रस्तुत किया जाना
7. एनआईसीएसआई को समय-सीमा में जनशक्ति, प्रशिक्षकों और हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आदि के लिए कार्य आदेश देना
8. संबंधित राज्यों के साथ परामर्श के बाद समय पर ढंग से सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के संशोधन/अनुकूलन के लिए राज्यों से प्राप्त सभी सेवा अनुरोधों को हल किया जाना
9. नागरिकों/आवेदकों को मंत्रालय से त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संक्षिप्त और सुविचारित तरीके से आरटीआई अनुरोध प्रस्तुत करना

नागरिक / ग्राहक चार्टर

निष्कर्ष

पंचायत प्रणाली हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रही है। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी प्रदान की गई थी। 73 वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे के साथ-साथ व्यवस्था को अधिदेशित किया गया है।

विकेंद्रीकरण, सुशासन को बढ़ावा देने और निचले स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। सहभागितापूर्ण स्थानीय बजटन का उद्देश्य और अधिक विकेंद्रीकरण में तेजी लाना है। सहभागितापूर्ण बजटन में लोक प्रशासकों से लेकर स्थानीय सरकारों और नागरिकों के लिए स्थानीय बजट आवंटन से संबंधित निर्णय लेने की शक्तियों का हस्तांतरण शामिल है। सहभागितापूर्ण बजट, नागरिकों को अपने समुदायों में संसाधन आवंटन के हिस्से पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के साथ संसाधनों के अधिक मिलान की संभावनाएं हो जाती हैं।

पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज में व्यापक सुधार के लिए प्रयासरत है। नई पहल और चल रहे कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के साथ, मंत्रालय ग्रामीण भारत को विकसित करने और गांव को स्मार्ट बनाने और विकसित करने के लिए पीआरआई के कामकाज में सुधार करने में सक्षम होगा जिससे न्यू इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।

संक्षेपाक्षर की सूची

3एफ	- कोष, कार्य और कर्मियों
सीईसी	- केंद्रीय कार्यकारी समिति
एफएफसी	- चौदहवां वित्त आयोग
जीओआई	- भारत सरकार
जीपी	- ग्राम पंचायत
जीपीडीपी	- ग्राम पंचायत विकास योजना
एमआईएस	- सूचना प्रबंधन प्रणाली
एमजीएनआरईजीएस	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमओपीआर	- पंचायती राज मंत्रालय
एनआईसी	- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईसीएसआई	- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक
पीईएसए	- पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
पीआर	- पंचायती राज
पीआरआई	- पंचायती राज संस्था
आरजीपीएसए	- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान
आरजीएसए	- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरटीआई	- सूचना का अधिकार अधिनियम
यूसी	- उपयोग प्रमाण पत्र
यूटी	- केन्द्र शासित प्रदेश/संघ राज्य क्षेत्र

*****